(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 62/2023 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 29.07.2024

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत आयु 31 वर्ष निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. दीपेन्द्रसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत आयु 35 वर्ष निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत आयु 72 वर्ष निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
5. सत्यनारायणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भरतसिंह पुत्र गोपीसिंह जाति राजपूत निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 111, 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट. एवं 89 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत किये जाने दुरूस्ती तरमीम

निर्णय **दिनांक:– 29.07.2024**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 654/1 रकबा 0.0506 है. एवं खसरा नम्बर 654/2 रकबा 0.0379 है. भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज. में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 654/1 रकबा 0.0506 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं खसरा नम्बर 654/2 रकबा 0.0379 है. भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण की आराजी प्रार्थी संख्या 1 व 2 के माता सायरकंवर पत्नि उमरावसिंह एवं बहिनों पूजाकंवर, मंजूकंवर पुत्रियां उमरावसिंह का नाम भी दर्ज था जिन्होंने उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्से का हक त्याग अपने सगे भाईयों प्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में रजिस्ट्रर्ड हक त्याग दिनांक 15.06.2023 के द्वारा त्याग दिया था जिसका नामान्तरकरण की कार्यवाही जेरकार है. इसलिये

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

सायरकंवर पत्नि उमरावसिंह एवं पूजाकंवर, मंजूकंवर पुत्रियां उमरावसिंह को पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी ख.नं. 654 / 1 एवं 654 / 2 का मूल नम्बर 654 था। जो पक्षकारान की पैतृक आराजी है। जिसका आपस में सहमति से मौके पर कब्जे के अनुसार तकासमा होने पर उसके नये नम्बर 654 / 1, 654 / 2, 654 / 3. 654 / 4 बने। तथा नक्शा में रंग भरने के अनुसार ही उक्त आराजी पर काबिज रहकर वर्षो से पक्षकारान काश्त करते आ रहे है। वरवक्त तकासमा मूल नम्बर के टुकडे नही कर सभी के नाम 654 मिन कर दिया गया एवं मौके पर कब्जे के अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे है। परन्तु नक्शा लट्ठा में उस समय कोई तरमीम नही की गई। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा DILRMP योजना के तहत सभी गांवों के भूमि में बिना तरमीम की भूमि की नक्शा लट्ठा में तरमीम कर दी गई । जिसमें पटवार हल्का ने 654 के अन्य नम्बर 654 / 3 व 654 / 4 की तरमीम तो सही कर दी परन्तु 654 / 1 व 654 / 2 की तरमीम विपरीत एवं गलत कर दी। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त तरमीम मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर करवाई गई है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 का मौके पर जितना कब्जा है वास्तव में तरमीम उतनी भूमि की नही की गई है, जो गलत होने से जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान का अपासी सहमति से तकासमा करते समय जी नक्शा तैयार किया गया था उक्त तरमीम उक्त नक्शा में भरे गये रंग के विपरीत की गई है जो प्रथमतः ही दुरूस्त किये जाने योग्य है। अभी हाल ही में दिनांक 24.07.2023 को अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण की आराजी में आकर कब्जा करने का प्रयास किया जब प्रार्थीगण ने उसे रोका तो अप्रार्थी सं. 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त जगह की मैने तरमीम मेरे पक्ष में है इसलिये तुम लोग आज के बाद उक्त जगह पर मत आना एवं मैं इसी जगह पर कब्जा करूगां। जब प्रार्थीगण ने इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का से बात की तो उक्त गलत तरमीम का पता लगा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा कर लिया या जबरन प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्राथीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री गोविन्द सिंह पंवार उपस्थित आये तथा जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 जवाब बन्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार..................3

(3)

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की ग्राम हथेली तहसील फागी के खसरा नं0 654/1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, 654/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नं0 654/1 पर अप्रार्थी संख्या 1 व खसरा नं0 654/2 पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। खसरा नं0 654 के विभाजन से खसरा नं. 654/1, 654/2, 654/3 व 654/4 की कोई तरमीम नहीं की गई है और वर्तमान में नक्शा लट्ठा शीट जीर्ण–शीर्ण हो रखी है। राजस्थान सरकार की डीआईएलआरएमपी योजना के तहत नक्शे में 1–2–1 मैपिंग के तहत खसरा नं. 654 के बट्टे नं. 654/1, 654/2, 654/3 व 654/4 डाले गये है जो कि विभाजन पत्र के अनुसार सही नहीं है। अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मूल ख0न0 654 का सहमति से बटवारा किया गया था। उक्त बटवारे के समय विवादग्रस्त आराजी की मुताबिक बटवारे अनुसार तरमीम नही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रार्थीगण की माता व बहिनों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 15.06.2023 को प्रार्थीगण के पक्ष मे हकत्याग कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.....4

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 654 / 1, 654 / 2 की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार फागी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते